रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 126] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 1985/फाल्गुन 27, 1906
No. 126] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 1985/PHALGUNA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1985

का आ 195 (अ) —विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1983 (1983 का 16) की धारा-1 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम लागू होने की तारीख अप्रैल, 1985 का पहला दिन निर्धारित करती है ।

[सं 25 (11)/82-डी (एस ई बी)]

जे सी गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF IRRIGATION & POWER

(Department of Power)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1985

S.O. 195(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1983 (16 of 1983), the Central Government hereby appoints the 1st Day of April, 1985 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 25(11)|82-D(SEB)]

J. C. GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985